

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

\*\*\*\*\*

अधिसूचना सं. 17/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी, 2021

का.आ. (अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 की उपधारा (2) के उपनियम (अ) के साथ पठित धारा 158 की उपधारा (2) के उपनियम (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, शुल्क की लेवी (सीमाशुल्क दस्तावेज) विनियमन, 1970 में संशोधन करके निम्नलिखित विनियमन करती है, यथा:-

1. (1) ये विनियमन शुल्क की लेवी (सीमाशुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियमन, 2021 कहे जाएंगे।  
(2) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. उक्त विनियमन में, विनियमन 3 में, सारणी में, क्र. सं. (ix) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.स. और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

' (x)	सीमाशुल्क ऑटोमैटेड प्रणाली में शीपिंग बिल और जीएसटी रिटर्न के बीच बेमेल की हैंडलिंग	1000.00 रु।''
-------	---	---------------

[मि.सं. 450/119/2017-कस्टम IV

(आनंद रथकृष्णन)

उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: प्रधान विनियमन जिसे का.आ. सं. 4018, दिनांक 26 दिसंबर, 1970 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 36/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के तहत किया गया था जिसे का.आ. 1155 दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।